

12/09/25

पन्नावली पेश हुई। पन्नावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को पत्रादि अवसर गत पेशियों पर दिए जाने के उपरान्त भी शेष अप्रार्थियों की तलबी हेतु लम्बे तलवान पेश नहीं किए हैं ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पर आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पन्नावली नम्बर दो कम होकर दायिल दफ्तर है।